आखिरी जांच: 5 अक्टूबर 2026 · Social Welfare Department, Government of Jammu and Kashmir

Contributory Social Security Scheme (CSSS)

जम्मू-कश्मीर में कम आय वाले सीमांत श्रमिकों के लिए अंशदायी बचत योजना है, जिसमें राज्य और श्रमिक दोनों एक संयुक्त खाते में पैसा जमा करते हैं।

क्या मिल सकता है

विभाग के पृष्ठ के अनुसार हर तिमाही राज्य की ओर से 300 रुपये और श्रमिक की ओर से 200 रुपये, पाँच से दस साल तक, इसी उद्देश्य से खोले गए संयुक्त खाते में जमा होते हैं।

किसके लिए है

जम्मू-कश्मीर के बहुत कम आय वाले सीमांत श्रमिक, जैसे खेतिहर और गैर-खेतिहर मजदूर, ग्रामीण नाई, कारीगर, चरवाहे, राजमिस्त्री और बुनकर।

मुख्य शर्तें

- आवेदक कम आय वाला सीमांत श्रमिक हो, जैसे खेतिहर या गैर-खेतिहर मजदूर, ग्रामीण नाई, कारीगर, लोहार, चरवाहा, राजमिस्त्री या बुनकर।
- श्रमिक को हर तिमाही अपना हिस्सा संयुक्त खाते में जमा करना होता है।
- आवेदन के साथ आयु, आय, स्थिति और पते का प्रमाण देना होता है।

दस्तावेज़

- आयु का प्रमाण
- आय का प्रमाण
- स्थिति का प्रमाण
- पते का प्रमाण

आवेदन कैसे करें

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) से आवेदन फॉर्म मुफ्त में लें।
2. फॉर्म भरकर आयु, आय, स्थिति और पते के प्रमाण लगाएँ।
3. पूरी फाइल तहसील समाज कल्याण अधिकारी को दें और उचित रसीद ले लें।
4. TSWO पात्र आवेदकों की सूची DSWO को भेजते हैं और उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला समिति मामलों को मंजूरी देती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialwelfarekashmir.jk.gov.in/CSSS.html
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/jammu-and-kashmir/jk-contributory-social-security-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।